



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273089  
CG-DL-E-03062026-273089

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]  
No. 370]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.151—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,  
(i) खंड (खक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(खक) “समिति” से धारा 21 के अधीन गठित लेनदारों की समिति अभिप्रेत है;”;

(ii) खंड (गक) में,

(क) उपखंड (v) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपखंड (vii) का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों में, विनियम 2क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“2क. समापन लागत में अंशदान**

परिसमापक समिति के सदस्यों से, कारपोरेट ऋणी की उसके द्वारा प्राक्कलित तरल आस्तियों से अधिक समापन लागत के आधिक्य में ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समिति द्वारा अनुमोदित की जाएं, अंशदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।”

4. मूल विनियमों के विनियम 2ख में, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि परिसमापक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन कोई समझौता या ठहराव तब तक फाइल नहीं किया जाएगा, जब तक-

(क) ऐसा समझौता या ठहराव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 की उपधारा (6) में यथा-उपबंधित लेनदारों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित न किया गया हो; और

(ख) प्रस्तावित समझौते या ठहराव के अधीन लेनदारों को वसूलनीय रकम, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को अवधारित समापन मूल्य से उच्चतर न हो ।”

5. मूल विनियमों में, विनियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“3क. लेनदारों की समिति द्वारा परिसमापक की सिफारिश ।**

(1) समिति, संहिता की धारा 34 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, समापन के लिए आदेश पारित करने से पूर्व, परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए, बोर्ड द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए दिवाला व्यावसायिकों के पैनल में से किसी एक दिवाला व्यावसायिक के नाम की सिफारिश करेगी ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन सिफारिश समिति के मतदान अंश के कम से कम छियासठ प्रतिशत के मत द्वारा की जाएगी ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन सिफारिश की प्राप्ति पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी परिसमापक की नियुक्ति करते समय ऐसी सिफारिश पर विचार करेगा ।”

6. मूल विनियमों में, विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“4. परिसमापक की फीस ।**

(1) समिति, समापन प्रक्रिया के दौरान, परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात् पहली बैठक में धारा 34 की उपधारा (8) के अनुसार फीस नियत कर सकेगी ।

(2) यदि समिति ने उप-विनियम (1) के अधीन फीस नियत नहीं की है तो समापन की शेष अवधि के लिए, हितधारकों को वितरित रकम के प्रतिशत के रूप में फीस निम्न प्रकार होगी:

वितरण की रकम (रूपयों में)	वितरित रकम पर फीस का प्रतिशत		
	प्रथम छह मास में	अगले छह मास में	उसके पश्चात्
<b>हितधारकों को वितरित रकम (समापन लागत को छोड़कर)</b>			
प्रथम 1 करोड़ पर	5.00	4.00	2.0
अगले 9 करोड़ पर	4.00	3.00	1.50
अगले 40 करोड़ पर	2.50	2.0	1.0
अगले 50 करोड़ पर	1.25	1.0	0.50
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशि पर	0.25	0.20	0.10

**स्पष्टीकरण** – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम की अपेक्षाएं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली समापन प्रक्रियाओं को लागू होंगी।

7. मूल विनियमों के विनियम 5 में –

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) परिसमापक –

(क) प्रगति रिपोर्ट(रिपोर्टें); और

(ख) विघटन से पूर्व अंतिम रिपोर्ट

तैयार करेगा और उन्हें इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।”

(ii) उप-विनियम (2) में, “और कार्यवृत्त” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (3) में, “रिपोर्टें और कार्यवृत्त” शब्दों के स्थान पर “रिपोर्टें” शब्द रखा जाएगा।

8. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, “व्यावसायिक नियुक्त कर सकता है” शब्दों से पहले “समिति के अनुमोदन से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. मूल विनियमों में, विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“8. लेनदारों की समिति।**

(1) धारा 21 के अधीन गठित लेनदारों की समिति समापन प्रक्रिया के दौरान कार्य करती रहेगी:

परन्तु ऐसा कोई प्रतिभूत लेनदार, जिसने धारा 52 के अधीन अपने प्रतिभूति हित का परित्याग नहीं किया है, समिति का भाग नहीं होगा।

परन्तु यह और कि धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) में दिए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में, ऐसा लेनदार जिसके ऋण का मूल्य बकाया है और उसे अप्रतिभूत लेनदार समझा जाता है, ऋण के शेष भाग के लिए समिति का भाग होगा और उसे शेष ऋण के मूल्य के लिए मतदान करने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण: धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) में दिए गए स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूति हित का मूल्य विनियम 35 के अनुसार अवधारित समापन मूल्य होगा।

(2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय 7 के विनियम 18 से विनियम 26 और अध्याय 9 के उपबंध, समापन कार्यवाहियों के अधीन समिति की बैठकों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे:

परन्तु समिति की पहली बैठक समापन प्रारंभ होने की तारीख से सात दिन के भीतर बुलाई जाएगी।

(3) प्रत्येक बैठक में, परिसमापक समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:

(क) वास्तविक समापन लागत, अनुमानित लागत से अधिक होने के कारणों सहित, यदि कोई है;

(ख) समस्त विधिक कार्यवाहियों की समेकित स्थिति; और

(ग) प्रक्रिया में हुई प्रगति।

(4) परिसमापक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(क) विनियम 7 के अधीन नियुक्त व्यावसायिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;

(ख) परिसमापक की फीस;

(ग) समापन लागत;

(घ) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के अधीन मूल्यांकन;

(ङ) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं वादों या विधिक कार्यवाहियों को जारी रखना या संस्थित करना;

(च) अनुसूची 1 के पैरा 1 के खंड (12) में यथा-उपबंधित बकाया विक्रय प्रतिफल के संदाय का नब्बे दिन से परे विस्तारण, नीलामी नोटिस में प्रकट किया जाएगा;

(छ) धारा 54 की उपधारा (1ख) के निर्देश से आगमों के वितरण के संबंध में किसी वाद या कार्यवाहियों का अनुशीलन करने के लिए समुचित व्यवस्था;

(ज) उप-विनियम (5) में सूचीबद्ध मामले या क्रियाकलाप के सिवाय, समापन प्रक्रिया से संबंधित कोई अन्य मामला या क्रियाकलाप, जैसा समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(5) परिसमापक, कम से कम छियासठ प्रतिशत मतदान अंश द्वारा प्राप्त समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित से संबंधित मामलों में कोई कार्य नहीं करेगा:

(क) विनियम 32 के अधीन विक्रय, जिसके अंतर्गत विक्रय की रीति, नीलामी-पूर्व अर्हताएं, आरक्षित कीमत, विपणन रणनीति और नीलामी प्रक्रिया भी है

(ख) वह रीति, जिसमें कारपोरेट ऋणी के विघटन के पश्चात् अधिमानी संव्यवहारों, न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार, उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार या कपटपूर्ण और सदोष व्यापार की बाबत कार्यवाही की जाएगी और वह रीति जिसमें इन कार्यवाहियों से प्राप्त आगमों को, यदि कोई हैं, वितरित किया जाएगा।

(ग) ऐसी वसूली-योग्य आस्तियों का, जो तुरंत वसूली-योग्य नहीं हैं, असाइनमेंट।

(6) समिति को उन सभी सुसंगत अभिलेखों और जानकारी तक पहुंच होगी, जो समिति द्वारा अपेक्षित हों।

(7) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान नियुक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि, समापन प्रक्रिया में ऐसे लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहेगा और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 16क के उप-विनियम (3क) से (12) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

**8क. आस्तियों के हस्तांतरण की सुकरता ।**

(1) जहां कारपोरेट ऋणी एक ऐसा कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता है जो समापन प्रक्रिया से गुजर रहा है, वहां ऐसे कारपोरेट ऋणी का परिसमापक, जिसने कारपोरेट प्रत्याभूति दी है, ऐसे कारपोरेट ऋणी के समाधान व्यावसायिक से जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, ऐसे कारपोरेट ऋणी की, जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आस्ति के हस्तांतरण के संबंध में समन्वय करेगा ।

(2) धारा 28A के प्रयोजनों के लिए, परिसमापक ऐसे कारपोरेट ऋणी की समिति से, जिसने ऐसे कारपोरेट ऋणी की, जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आस्ति के हस्तांतरण के लिए कारपोरेट प्रत्याभूति दी है, अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(3) जहां कारपोरेट ऋणी की समिति द्वारा हस्तांतरण की अनुज्ञा देते हुए कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता के रूप में अनुमोदन दिया जाता है वहां ऐसे कारपोरेट ऋणी का परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित हस्तांतरण को प्रगति रिपोर्ट और आस्ति ज्ञापन में समुचित रूप से प्रकट किया जाए ।

**8ख. परिसमापक का प्रतिस्थापन ।**

समिति, कम से कम छियासठ प्रतिशत मतों द्वारा परिसमापक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव कर सकती है और प्रस्तावित परिसमापक की ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, लिखित सम्मति प्राप्त करने के पश्चात् परिसमापक के प्रतिस्थापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगी ।

परन्तु जहां परिसमापक प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित हो वहां वह तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि परिसमापक का प्रतिस्थापन नहीं हो जाता ।

10. मूल विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में, “कारपोरेट ऋणी का संप्रवर्तक या भागीदार” शब्दों के बाद “या धारा 34 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

11. मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) में, “संविदा के अनुसरण में कोई कार्य किया है तो वह समापन आरंभ होने की तारीख से छः माह के अंदर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अनुमति दे, को संपत्ति या संविदा का दावा छोड़ने के लिए आवेदन दे सकता है” शब्दों के स्थान पर “संविदा के अनुसरण में, समिति से अनुमोदन की ईप्सा करने के पश्चात्, समापन आरंभ होने से नब्बे दिन या ऐसा बढ़ाई गई अवधि, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अनुज्ञात करे, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष संपत्ति या संविदा का दावा छोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है” शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल विनियमों के विनियम 12 में –

(i) उप-विनियम (1) में, “अनुसूची II के प्ररूप ख में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जैसा बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

13. मूल विनियमों के विनियम 13 में,

(i) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर “समिति” शब्द रखा जाएगा ।

(ii) “पचहत्तर” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा ।

14. मूल विनियमों के विनियम 14 में, “वह परामर्श समिति से परामर्श करेगा और यदि वह शीघ्र विघटन की सलाह देती है तो वह, परामर्श समिति के विचारों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट सहित, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को शीघ्र विघटन और विघटन संबंधी ऐसे आवश्यक निदेशों के लिए” शब्दों के स्थान पर “वह इस संबंध में कार्यसूची समिति के समक्ष रखेगा और यदि वह कम से कम छियासठ प्रतिशत मतदान अंश द्वारा शीघ्र विघटन के लिए विनिश्चय करती है तो वह समिति के विनिश्चय को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट सहित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी के शीघ्र विघटन के लिए और ऐसे विघटन की बाबत आवश्यक निदेशों के लिए आवेदन करेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

## 15. मूल विनियमों के विनियम 15 में –

(i) उप-विनियम (1) में, “बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में निम्नलिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट” शब्दों के पश्चात् “समिति के समक्ष रखी जाएगी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) समापन में प्रगति उपदर्शित करते हुए एक विवरणी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं –

- (i) समिति की बैठकों के कार्यवृत्त,
- (ii) आस्ति ज्ञापन,
- (iii) विक्रय रिपोर्ट(रिपोर्टें),
- (iv) हितधारकों की सूची का बंदोबस्त,
- (v) ऐसी किसी संपत्ति का ब्यौरा जो विक्रय या वसूली के लिए रह गई है
- (vi) हितधारकों को किया गया वितरण, और
- (vii) हितधारकों को किए गए अविक्रीत संपत्ति का वितरण;”

(iii) उप-विनियम (5) में, दृष्टांत के स्थान पर, निम्नलिखित दृष्टांत रखा जाएगा, अर्थात्:-

“दृष्टांत: एक दिवाला व्यावसायिक 13 फरवरी, 2026 को परिसमापक बनता है और 12 जून, 2026 को परिसमापक के रूप में कार्य करना बन्द कर देता है तो वह निम्न प्रकार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

रिपोर्ट सं.	तिमाही के अंतर्गत आने वाली अवधि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी – 31 मार्च, 2026	15 अप्रैल, 2026
2	अप्रैल – 12 जून, 2026	27 जून, 2026

वह अपनी प्राप्तियों और भुगतान के संपरीक्षित लेखे निम्न प्रकार प्रस्तुत करेगा:

संपरीक्षित लेखा सं.	वर्ष के अंतर्गत आने वाली अवधि	प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी – 31 मार्च, 2026	15 अप्रैल, 2026
2	अप्रैल – 12 जून, 2026	27 जून, 2026”

## 16. मूल विनियमों के विनियम 16 में,

(i) उप-विनियम (1) में, “सार्वजनिक उद्घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपना दावा प्रस्तुत करेगा या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अपने दावे को अद्यतन करेगा, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी शामिल है” शब्दों के स्थान पर “समापन प्रारंभ होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करेगा जहां दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, “समापन प्रारंभ होने की तारीख को अपने ऋण या देयों के लिए, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी है” शब्दों के स्थान पर “दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को नए प्रस्तुत किए गए दावों के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) प्रत्येक हितधारक जैसे ही उसका दावा दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में भागतः या पूर्णतः पूरा हो जाता है, अपने दावे को अद्यतन करेगा।”

17. मूल विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (1) में “अनुसूची II के प्ररूप ग में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

18. मूल विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (1) में, “अनुसूची II के प्ररूप घ में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

19. मूल विनियमों के विनियम 19 में: -

(i) उप-विनियम (1) में, “अनुसूची II के प्ररूप ड में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, “अनुसूची II के प्ररूप च में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

20. मूल विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (1) में, “अनुसूची II के प्ररूप छ में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

21. मूल विनियमों के विनियम 21क में:-

(i) पार्श्व शीर्ष में, “उपधारणा” शब्द के स्थान पर “परित्याग” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उप-विनियम (1) में,

(क) “प्रतिभूत लेनदार” शब्दों के पश्चात् “चौदह दिनों के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) “अनुसूची II के प्ररूप ग या प्ररूप घ में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-विनियम (1) के परंतुक में,

(क) “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर “चौदह दिन” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) “आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे समापन संपदा” शब्द के स्थान पर “आस्तियों का समापन संपदा में त्याग समझा जाएगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) “का भाग है” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iv) उप-विनियम (2) में,

(क) खंड (क) में, “नब्बे” शब्द के स्थान पर “पैंतालीस” शब्द रखा जाएगा।

(ख) खंड (ख) में, “एक सौ अस्सी” शब्दों के स्थान पर “नब्बे” शब्द रखा जाएगा।

22. मूल विनियमों के विनियम 28 के उप-विनियम (1) में, ‘समापन प्रारंभ होने की तारीख’ शब्दों के स्थान पर ‘दिवाला प्रारंभ होने की तारीख’ शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल विनियमों के विनियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“30. दावों का सत्यापन।

(1) परिसमापक विनियम 16 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन, दावा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर करेगा और, यथास्थिति, दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

(2) परिसमापक उन दावों का भी, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुए थे लेकिन सत्यापित नहीं किए गए थे, परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख के सात दिनों के भीतर सत्यापन करेगा और यथास्थिति, दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा :

परन्तु परिसमापक उस दावे का पुनः सत्यापन नहीं करेगा, जिसका सत्यापन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान पहले ही हो चुका है:

परन्तु यह और कि जहां परिसमापक किसी दावे को अस्वीकार करता है, तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(3) परिसमापक दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी अपना निर्णय, कारणों सहित, हितधारकों को ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति के सात दिनों के भीतर संसूचित करेगा।”

24. मूल विनियमों के विनियम 31 के उप-विनियम (2) में, “पैंतालीस” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा।

25. मूल विनियमों के विनियम 31क लोप किया जाएगा।

26. मूल विनियमों के विनियम 32 के परंतुक के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमापक किसी भी स्थावर और जंगम संपत्ति या परिसमापनाधीन कारपोरेट ऋणी के किन्हीं कार्रवाई योग्य दावों का ऐसे किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा, जो धारा 29क के अधीन समाधान आवेदक होने के लिए अपात्र है।”

27. मूल विनियमों के विनियम 32ख का लोप किया जाएगा।

28. मूल विनियमों के विनियम 33 में:

(i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु परिसमापक इस उप-विनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना आस्तियों का विक्रय निम्नलिखित को नहीं करेगा:

(क) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (च) के परंतुक के अधीन रहते हुए, कारपोरेट ऋणी के किसी संबंधित पक्षकार;

(ख) उसके संबंधित पक्षकार; या

(ग) उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यावसायिक।”

(ii) उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का प्राइवेट विक्रय के माध्यम से छियासठ प्रतिशत मतदान अंश सहित समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट तरीके से विक्रय कर सकेगा, जब-

(क) आस्ति नाशवान हो;

(ख) आस्ति के मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आनी संभावित है यदि उसका तुरंत विक्रय नहीं किया जाता है; या

(ग) ऐसे विक्रय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है:

परन्तु परिसमापक आस्तियों का विक्रय प्राइवेट विक्रय द्वारा निम्नलिखित को नहीं करेगा:

- (क) कारपोरेट ऋणी के किसी संबंधित पक्षकार;
- (ख) उसके संबंधित पक्षकार; या
- (ग) उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यावसायिक।”

29. मूल विनियमों के विनियम 34 में: -

(i) उप-विनियम (1क) में, “पचहत्तर” शब्द के स्थान पर “पैंतालीस” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) में,

(क) खंड (क) में, “संपत्ति का मूल्य” शब्दों से पहले, “विनियम 32 के अधीन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) में, “प्रारंभिक” शब्द के स्थान पर “प्रगति” शब्द रखा जाएगा।

(iv) उप-विनियम (5) में, “परामर्श समिति के प्रत्येक सदस्य” शब्दों के स्थान पर “समिति” शब्द रखा जाएगा और “मतदान अधिकार रखने वाले” शब्दों का लोप किया जाएगा।

30. मूल विनियमों के विनियम 35 में: -

(i) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में या जहां समिति की यह राय है कि इन परिस्थितियों के अधीन नए मूल्यांकन की आवश्यकता है वहां परिसमापक समापन प्रारंभ होने की तारीख के सात दिनों के भीतर, विनियम 32 के अधीन कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को नियुक्त करेगा :

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) परिसमापक का कोई रिश्तेदार;

(ख) कारपोरेट ऋणी का कोई संबंधित पक्षकार;

(ग) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखा परीक्षक; या

(घ) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक जिसका परिसमापक भागीदार या निदेशक है।

(ii) उप-विनियम (3) में, “यथास्थिति, आस्तियों या कारबार”, शब्दों के स्थान पर “आस्तियों” शब्द रखा जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) में “या कारबार” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iv) उप-विनियम (5) में “परामर्श” शब्द का लोप किया जाएगा।

(v) उप-विनियम (6) में "परामर्श समिति के सदस्य" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जाएगा।

(vi) उप-विनियम (7) में "परामर्श" शब्द का लोप किया जाएगा।

31. मूल विनियमों के विनियम 37 के उप-विनियम (2) में:-

(i) "इक्कीस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा।

(ii) "तीस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जाएगा।

32. मूल विनियमों के विनियम 37क के उप-विनियम (1) में:-

(i) "के परामर्श से" शब्दों के स्थान पर "के पूर्व अनुमोदन से" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "विनियम 31क के अनुसार हितधारकों की परामर्श" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में, "अंतर्निहित आस्तियां भी हैं" शब्दों के पश्चात् "चाहे क्रिस्टलीकृत हो या नहीं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

33. मूल विनियमों के विनियम 38 के उप-विनियम (1) में, "परिसमापक" शब्द के पश्चात् "समिति के अनुमोदन के पश्चात् और" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

34. मूल विनियमों के विनियम 40 के स्पष्टीकरण में, "कारबार" शब्द का लोप किया जाएगा।

35. मूल विनियमों के विनियम 41 के उप-विनियम (3) में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जाएगा।

36. मूल विनियमों के विनियम 42 में: -

(i) उप-विनियम (1) में, "और आस्ति ज्ञापन" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

37. मूल विनियमों के विनियम 44 में: -

(i) उप-विनियम (1) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, "एक वर्ष" शब्द के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-विनियम (2) में, "वह" शब्द के पश्चात् "इस विनियम के अधीन समिति से अनुदेश प्राप्त होने पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iv) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :-

"स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमापक, समापन प्रक्रिया के अधीन अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन तब तक करता रहेगा, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा विस्तार के लिए आवेदन पर विनिश्चय नहीं कर दिया जाता।"

(v) उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण में, "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019" पद के स्थान पर "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026" पद रखा जाएगा।

38. मूल विनियमों के विनियम 44क में,

- (i) “की सलाह पर” शब्दों के स्थान पर “के अनुमोदन से” शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) “परामर्श” शब्द का लोप किया जाएगा।

39. मूल विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) परिसमापक, ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए अंतिम रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ कारपोरेट ऋणी के विघटन या समापन प्रक्रिया के बन्द करने हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।”

40. मूल विनियमों के विनियम 45क में:-

- (i) उप-विनियम (2) के खंड (ड) में “परामर्श” शब्द का लोप किया जाएगा।
- (ii) खंड (झ) में “समापन प्रक्रिया में चालू समुत्थान विक्रय या” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (iii) उप-विनियम (2) के खंड (ढ) में “प्रारंभिक रिपोर्ट, आस्ति ज्ञापन” और “आस्ति विक्रय रिपोर्ट, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (iv) उप-विनियम (5) का लोप किया जाएगा।

41. मूल विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (5), (7) और (7घ) में, “प्ररूप-झ” शब्द के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

42. मूल विनियमों के विनियम 47 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

#### “47. समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

निम्नलिखित सारणी, समापन प्रारंभ होने की तारीख से किसी कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया की यह मानकर आदर्श समय-सीमा प्रस्तुत करती है कि इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौता या ठहराव शामिल नहीं है:

#### समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

क्रम सं.	धारा/विनियम	कार्य का वर्णन	मानक	अद्यतन समयसीमा (दिनों में)
1	धारा 33 और 34	समापन का प्रारंभ और परिसमापक की नियुक्ति	एल.सी.डी.	0=टी
2	धारा 33(1) (ख) (ii)/ विनियम 12	लोक उद्घोषणा	परिसमापक की नियुक्ति के 5 दिन के भीतर	टी+5
3	विनियम 35(2)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति	एल.सी.डी. के 7 दिन के भीतर	टी+7
4	विनियम 8	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	एल.सी.डी. के 7 दिन के भीतर	टी+7
5		दावे प्रस्तुत करना;	एल.सी.डी. के 14 दिन के भीतर	टी+14

	विनियम 16/ धारा 52 और विनियम 21क	प्रतिभूति हित के त्याग पर विनिश्चय की सूचना		
6	विनियम 30	विनियम 16 के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावों की प्राप्ति की से 7 दिन के भीतर	टी+21
7	विनियम 30	दावे स्वीकार/अस्वीकार करने के विनिश्चय के बारे में सूचना	दावा स्वीकार या अस्वीकार करने के 7 दिन के भीतर	टी+28
8	विनियम 31(2)	हितधारकों की सूची फाइल करना	दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर	टी+44
9	विनियम 15	ए.ए. को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना;	पहली प्रगति रिपोर्ट	क्यू1+15
			दूसरी प्रगति रिपोर्ट	क्यू2+15
10	विनियम 15 का परन्तुक	परिसमापक न रहने की दशा में प्रगति रिपोर्ट	परिसमापक न रहने के 15 दिन के भीतर	न रहने की तारीख+15
11	विनियम 42(2)	हितधारकों को आगमों का वितरण	रकम की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर	वसूली की तारीख+15
12	विनियम 44	कारपोरेट ऋणी का समापन	180 दिनों के भीतर	टी+180
13	विनियम 46	अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों की रकम जमा करना	विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व	
14	अनुसूची 1, क्रम सं. 12	एच1 बोलीकर्ता को अतिशेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए समयावधि	अतिशेष रकम प्रदान करने के लिए आमंत्रण की तारीख से 90 दिन के भीतर	

[ए.ए.: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, एल.सी.डी.: समापन प्रारंभ होने की तारीख]

#### 43. मूल विनियमों की अनुसूची I के खंड 1 में:-

- (i) उपखंड (1क) का लोप किया जाएगा ।
- (ii) उपखंड (1ख) में, "परामर्श" शब्द का लोप किया जाएगा ।
- (iii) उपखंड (1ख) में, "की सलाह नहीं देती" शब्दों के स्थान पर "का विनिश्चय नहीं करती" शब्द रखे जाएंगे ।
- (iv) उपखंड (4) में, "आरक्षित कीमत को" शब्दों के पश्चात्, "समिति के अनुमोदन से," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (v) उपखंड (4) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- (vi) उपखंड (11क) में, "जहां परिसमापक" शब्दों के पश्चात्, "छियासठ प्रतिशत मतदान अंश सहित समिति के अनुमोदन से," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- (vii) उपखंड (12ख) में, "परामर्श" और "विनियम 31क के अधीन" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(viii) उपखंड (12ग) में, “परामर्श समिति से परामर्श” शब्दों के स्थान पर “छियासठ प्रतिशत मतदान अंश सहित समिति के अनुमोदन” शब्द रखे जाएंगे।

(ix) उपखंड (12ड) में, “परिसमापक, परामर्श समिति के परामर्श से” शब्दों के स्थान पर “परिसमापक, छियासठ प्रतिशत मतदान अंश सहित समिति के अनुमोदन से” शब्द रखे जाएंगे।

(x) उपखंड (13) में, “परिसमापक” शब्द के पश्चात्, “छियासठ प्रतिशत मतदान अंश सहित समिति के अनुमोदन से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

44. मूल विनियमों की अनुसूची I के खंड 2 के उपखंड (3क) में, “विनियम 33 के अधीन परामर्श समिति के परामर्श के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “विनियम 33 के अनुपालन में” शब्द रखे जाएंगे।

45. मूल विनियमों में, अनुसूची II का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./140/2026-27]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किया गया, जो अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.142, तारीख 19 मई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 329, तारीख 20 मई, 2026 में प्रकाशित हुए थे।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

#### **Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2026**

**F. No. IBBI/2026-27/GN/REG151.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 2, in sub-regulation (1):-

(i) for clause (ba), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ba) “committee” means a committee of creditors constituted under section 21;”.

(ii) in clause (ea),

(a) sub-clause (v) shall be omitted.

(b) sub-clause (vii) shall be omitted.

3. In the principal regulations, for regulation 2A, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“2A. Contributions to liquidation costs.**

The liquidator may call upon the members of the committee to contribute the excess of the liquidation costs over the liquid assets of the corporate debtor, as estimated by him, in such manner and subject to such terms and conditions as approved by the committee.”

4. In the principal regulations, in regulation 2B, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that no compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013 shall be filed by the liquidator unless—

(a) such compromise or arrangement has been approved by requisite majority of creditors as provided in sub-section (6) of section 230 of the Companies Act, 2013; and

(b) the amount realisable to the creditors under the proposed compromise or arrangement is higher than the liquidation value determined as on the insolvency commencement date.”

5. In the principal regulations, after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely:-

**“3A. Recommendation of liquidator by committee of creditors.**

(1) For the purposes of sub-section (1) of section 34 of the Code, the committee shall, prior to the passing of the order for liquidation, recommend the name of an insolvency professional from the panel of insolvency professionals prepared by the Board in this regard, for appointment as liquidator.

(2) The recommendation under sub-regulation (1) shall be made by a vote of not less than sixty-six per cent. of the voting share of the committee.

(3) Upon receipt of the recommendation under sub-regulation (2), the Adjudicating Authority shall consider such recommendation while appointing the liquidator.”

6. In the principal regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“4. Liquidator’s fee.**

(1) The committee may fix the fee of the liquidator in the first meeting after the appointment of liquidator during the liquidation process, in accordance with sub-section (8) of section 34.

(2) If the committee has not fixed the fee under sub-regulation (1), the fee as a percentage of the amount distributed to the stakeholders, for the balance period of liquidation, will be as under:

Amount of Distribution (In rupees)	Percentage of fee on the amount distributed		
	in the first six months	in the next six months	thereafter
<b>Amount Distributed to Stakeholders (exclusive of liquidation costs)</b>			
On the first 1 crore	5.00	4.00	2.0
On the next 9 crore	4.00	3.00	1.50
On the next 40 crore	2.50	2.0	1.0
On the next 50 crore	1.25	1.0	0.50
On further sums realized	0.25	0.20	0.10

**Explanation.-** It is hereby clarified that the requirements of this regulation shall apply to the liquidation processes commencing on or after the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2026.”

7. In the principal regulations, in regulation 5:-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The liquidator shall prepare and submit:

(a) progress report(s); and

(b) the final report prior to dissolution:

to the Adjudicating Authority in the manner specified under these Regulations.”

(ii) in sub-regulation (2), the words “and minutes” shall be omitted.

(iii) in sub-regulation (3), for the words “make the reports and minutes”, the words “make the reports” shall be substituted.

8. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1), after the words “may appoint professionals” the words “with the approval of the committee” shall be inserted.

9. In the principal regulations, for regulation 8, the following regulations shall be substituted, namely:-

**“8. Committee of creditors.**

(1) The committee of creditors constituted under section 21 shall continue to function during the liquidation process:

Provided that a secured creditor who has not relinquished his security interest under section 52 shall not be part of the committee.

Provided further that with reference to Explanation in clause (b) in sub-section (1) of section 53, the creditor whose value of debt remains and is considered as unsecured creditor shall be a part of the committee for the remaining portion of debt and shall have the voting rights to the value of the remaining debt.

Explanation: For the purposes of Explanation in clause (b) in sub-section (1) of section 53, the value of security interest shall be the liquidation value determined in accordance with Regulation 35.

(2) The provisions of regulations 18 to 26 of Chapter VI and Chapter VII of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall apply mutatis mutandis to meetings of the committee under liquidation proceedings:

Provided that the first meeting of the committee shall be convened within seven days of liquidation commencement date.

(3) In every meeting, the liquidator shall present to the committee:

- (a) the actual liquidation cost along with reasons for exceeding the estimated cost, if any;
- (b) the consolidated status of all the legal proceedings; and
- (c) the progress made in the process.

(4) The liquidator shall not undertake the following without the prior approval of the committee:

- (a) appointment and remuneration of professionals appointed under regulation 7;
- (b) fees of the liquidator;
- (c) liquidation costs;
- (d) valuation under sub- regulation (2) of regulation 35;
- (e) continuation or institution of any suits or legal proceedings by or against the corporate debtor;
- (f) extension of payment of balance sale consideration as provided in clause (12) of Para 1 of Schedule I, beyond ninety days, to be disclosed in the auction notice;
- (g) appropriate arrangement for pursuing any suit or proceedings with regard to distribution of proceeds in reference to sub-section (1B) of section 54;
- (h) any other matter or activity relating to the liquidation process except those listed in sub-regulation (5), as may be decided by the committee.

(5) The liquidator shall not undertake the following without the prior approval of the committee obtained by a voting share of not less than sixty-six per cent., in matters relating to:

- (a) sale under regulation 32, including manner of sale, pre-bid qualifications, reserve price, marketing strategy and auction process;
- (b) the manner in which proceedings in respect of preferential transactions, undervalued transaction, extortionate credit transaction or fraudulent or wrongful trading, if any, shall be pursued after dissolution of the corporate debtor and the manner in which the proceeds, if any, from these proceedings shall be distributed; and

(c) assignment of not readily realisable assets.

(6) The committee shall have access to all relevant records and information as may be required by the committee.

(7) The authorised representative, appointed during the corporate insolvency resolution process, shall continue to act as the authorised representative of such creditors in the liquidation process and the provisions of sub-regulations (3A) to (12) of regulation 16A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall apply *mutatis mutandis*.

#### **8A. Facilitation of transfer of assets.**

(1) Where the corporate debtor is a corporate guarantor undergoing a liquidation process, the liquidator of such corporate debtor which has given the corporate guarantee shall coordinate with the resolution professional of the corporate debtor to whom such guarantee has been given, regarding transfer of asset in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor to whom such guarantee has been given.

(2) For the purposes of section 28A, the liquidator shall obtain approval from the committee of the corporate debtor which has given the corporate guarantee for transfer of asset in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor to whom such guarantee has been given.

(3) Where approval is granted by the committee of the corporate debtor as corporate guarantor permitting the transfer, the liquidator of such corporate debtor shall ensure that the proposed transfer is appropriately disclosed in the progress report and asset memorandum.

#### **8B. Replacement of liquidator.**

The committee may by a vote of not less than sixty-six per cent., propose to replace the liquidator and shall file an application, after obtaining the written consent of the proposed liquidator in such format as notified by the Board, before the Adjudicating Authority for replacement of the liquidator:

Provided that where a liquidator is proposed to be replaced, he shall continue to work till his replacement.”

10. In the principal regulations, in regulation 9, in sub-regulation (1), in clause (a), after the words “partner of the corporate debtor” the words “or any other person referred to in sub-section (3) of section 34” shall be inserted.

11. In the principal regulations, in regulation 10, in sub-regulation (1), for the words “in pursuance of the contract, make an application to the Adjudicating Authority within six months from the liquidation commencement date, or such extended period as may be allowed by the Adjudicating Authority, to disclaim the property or contract”, the words “in pursuance of the contract, make an application, after seeking approval from the committee, before the Adjudicating Authority within ninety days from the liquidation commencement date, or such extended period as may be allowed by the Adjudicating Authority, to disclaim the property or contract” shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 12:-

(i) in sub-regulation (1), for the words “Form B of Schedule II” the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

(ii) sub-regulation (2), shall be omitted.

13. In the principal regulations, in regulation 13: -

(i) for the words “Adjudicating Authority” the word “committee” shall be substituted.

(ii) for the words “seventy-five” the word “thirty” shall be substituted.

14. In the principal regulations, in regulation 14, for the words “he shall consult the consultation committee and if it advises for early dissolution, he may apply, along with a detailed report incorporating the views of the consultation committee, to the Adjudicating Authority for early dissolution of the corporate debtor and for necessary directions in respect of such dissolution”, the words “he shall place the agenda in this regard before the committee and if it decides by a voting share of not less than sixty-six per cent. for early dissolution, he shall apply, along with a detailed report incorporating the decision of the committee, to the Adjudicating Authority for early dissolution of the corporate debtor and for necessary directions in respect of such dissolution” shall be substituted.

15. In the principal regulations, in regulation 15:-

(i) in sub-regulation (1), after the words “stipulated by the Board, to” the words “be placed before the committee” shall be inserted.

(ii) in sub-regulation (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) a statement indicating progress in liquidation, including-

- (i) minutes of meetings of the committee,
- (ii) asset memorandum,
- (iii) sale report(s),
- (iv) settlement of list of stakeholders,
- (v) details of any property that remains to be sold and realised,
- (vi) distribution made to the stakeholders, and
- (vii) distribution of unsold property made to the stakeholders;”

(iii) in sub-regulation (5), for the illustration, the following illustration shall be substituted, namely:-

“*Illustration:* An insolvency professional becomes a liquidator on 13<sup>th</sup> February, 2026, and ceases to act as liquidator on 12<sup>th</sup> June, 2026. He shall submit Progress Reports as under:

Report No.	Period covered in the Quarter	Last Date of Submission of Report
1	13 <sup>th</sup> February - 31 <sup>st</sup> March, 2026	15 <sup>th</sup> April, 2026
2	April – 12 <sup>th</sup> June, 2026	27 <sup>th</sup> June, 2026

He shall submit the audited accounts of his receipts and payments as under:

Audited Account No.	Period covered in the Year	Last Date of Submission
1	13 <sup>th</sup> February - 31 <sup>st</sup> March, 2026	15 <sup>th</sup> April, 2026
2	April – 12 <sup>th</sup> June, 2026	27 <sup>th</sup> June, 2026

”

16. In the principal regulations, in regulation 16,

(i) in sub-regulation (1), for the words “shall submit its claim, or update its claim submitted during the corporate insolvency resolution process, including interest, if any, on or before the last date mentioned in the public announcement.”, the words “shall submit its claim where not submitted during the corporate insolvency resolution process as on insolvency commencement date, within fourteen days of the liquidation commencement date.” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2), for the words “including interest, if any, as on the liquidation commencement date”, the words “for the newly submitted claims, if any, as on the insolvency commencement date” shall be substituted.

(iii) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) A stakeholder shall update its claim as and when the claim is satisfied, partly or fully, from any source in any manner, after the insolvency commencement date.”

17. In the principal regulations, in regulation 17, in sub-regulation (1), for the words “Form C of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

18. In the principal regulations, in regulation 18, in sub-regulation (1), for the words “Form D of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

19. In the principal regulations, in regulation 19: -

(i) in sub-regulation (1), for the words “Form E of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2), for the words “Form F of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

20. In the principal regulations, in regulation 20, in sub-regulation (1), for the words “Form G of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

21. In the principal regulations, in regulation 21A:-

(i) in the marginal heading, for the word “Presumption”, the word “Relinquishment” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (1),

(a) after the words “A secured creditor” the words “,within fourteen days,” shall be inserted.

(b) for the words “Form C or Form D of Schedule II”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

(iii) in the proviso to sub-regulation (1),

(a) for the word “thirty days” the words “fourteen days” shall be substituted.

(b) for the word “presumed” the words “deemed to be relinquished” shall be substituted.

(c) the words “be part of” shall be omitted.

(iv) in sub-regulation (2),

(a) in clause (a), for the word “ninety”, the words “forty-five” shall be substituted.

(b) in clause (b), for the word “one hundred and eighty”, the words “ninety” shall be substituted.

22. In the principal regulations, in regulation 28, sub-regulation (1), for the words ‘liquidation commencement date’, the words ‘insolvency commencement date’ shall be substituted.

23. In the principal regulations, for regulation 30, the following regulations shall be substituted, namely:-

**“30. Verification of claims.**

(1) The liquidator shall verify the claims received under sub-regulation (1) of regulation 16, within seven days of receipt of claim and may either admit or reject the claim, in whole or in part, as the case may be.

(2) The liquidator shall also verify the claims which were received but were not verified during the corporate insolvency resolution process, within seven days of the liquidation commencement date and may either admit or reject the claim, in whole or in part, as the case may be:

Provided that the liquidator shall not re-verify the claim, which has already been verified during the corporate insolvency resolution process:

Provided further that where the liquidator rejects a claim, he shall record in writing the reasons for such rejection.

(3) The liquidator shall communicate his decision of admission or rejection of claims along with reasons, to the stakeholder within seven days of such admission or rejection of claims.”

24. In the principal regulations, in regulation 31, in sub-regulation (2), for the words “forty-five”, the words “thirty” shall be substituted.

25. In the principal regulations, regulation 31A shall be omitted.

26. In the principal regulations, after the proviso to regulation 32, the following clarification shall be inserted, namely:-

“Clarification: It is hereby clarified that the liquidator shall not sell any immovable and movable property or actionable claims of the corporate debtor in liquidation to any person who is ineligible to be a resolution applicant under section 29A.”

27. In the principal regulations, regulation 32B shall be omitted.

28. In the principal regulations, in regulation 33:

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the liquidator shall not sell the assets without prior permission of the Adjudicating Authority under this sub-regulation to:

(a) a related party of the corporate debtor subject to proviso to clause (f) of sub-section (1) of Section 35;

(b) his related party; or

(c) any professional appointed by him.”

(ii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The liquidator may sell the assets of the corporate debtor by means of private sale only after prior approval of the committee with voting share of sixty six per cent., in the manner specified in Schedule I when -

(a) the asset is perishable;

(b) the asset is likely to deteriorate in value significantly if not sold immediately; or

(c) the permission of the Adjudicating Authority has been obtained for such sale:

Provided that the liquidator shall not sell the assets, by way of private sale to-

- (a) a related party of the corporate debtor;
- (b) his related party; or
- (c) any professional appointed by him.”

29. In the principal regulations, in regulation 34: -

(i) in sub-regulation (1A), for the word “seventy-five” the word “forty-five” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2),

- (a) in clause (a), after the words “value of the asset”, the words “under regulation 32” shall be inserted.
- (b) clause (b) shall be omitted.

(iii) in sub-regulation (4), for the word “preliminary”, the word “progress” shall be substituted.

(iv) in sub-regulation (5), the words “members of the consultation” and “having voting rights” shall be omitted.

30. In the principal regulations, in regulation 35: -

(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) In cases not covered under sub-regulation (1) or where the committee, is of the opinion that fresh valuation is required under the circumstances, the liquidator shall within seven days of the liquidation commencement date, appoint two registered valuers to determine the realisable value of the assets under regulation 32 of the corporate debtor:

Provided that the following persons shall not be appointed as registered valuers, namely: -

- (a) a relative of the liquidator;
- (b) a related party of the corporate debtor;
- (c) an auditor of the corporate debtor at any time during the five years preceding the insolvency commencement date; or
- (d) a partner or director of the insolvency professional entity of which the liquidator is a partner or director.”

(ii) in sub-regulation (3), the words “or businesses, as the case may be” shall be omitted.

(iii) in sub-regulation (4), the words “or businesses” shall be omitted.

(iv) in sub-regulation (5), the word “consultation” shall be omitted.

(v) in sub-regulation (6), the words “members of the consultation” shall be omitted.

(vi) in sub-regulation (7), the word “consultation” shall be omitted.

31. In the principal regulations, in regulation 37, in sub-regulation (2):-

- (i) for the words “twenty one” the word “seven” shall be substituted.
- (ii) for the words “thirty” the words “fourteen” shall be substituted.

32. In the principal regulations, in regulation 37A, in sub-regulation (1): -

- (i) for the words “in consultation with” the words “with prior approval of” shall be substituted.
- (ii) the words “stakeholders’ consultation” and “in accordance with regulation 31A” shall be omitted.
- (iii) in the explanation to sub-regulation (1), after the words “section 66 of the Code” the words and mark “, whether crystallised or not” shall be inserted.

33. In the principal regulations, in regulation 38, in sub-regulation (1), after the words “The liquidator may,”, the words “after approval of the committee and” shall be inserted.

34. In the principal regulations, in regulation 40, in the explanation, the word “,business” shall be omitted.

35. In the principal regulations, in regulation 41, in sub-regulation (3), for the words “Adjudicating Authority”, the word “committee” shall be substituted.

36. In the principal regulations, in regulation 42: -

- (i) in sub-regulation (1), the words “and the asset memorandum” shall be omitted.
- (ii) in sub-regulation (2), for the word “ninety days”, the word “fifteen days” shall be substituted.

37. In the principal regulations, in regulation 44: -

- (i) in sub-regulation (1), for the word “one year”, the words “one hundred and eighty days” shall be substituted.
- (ii) in sub-regulation (2), for the words “one year”, the words “one hundred and eighty days” shall be substituted.
- (iii) in sub-regulation (2), after the words “he shall” the words “, on receiving an instruction from the committee under this regulation” shall be inserted.
- (iv) after sub-regulation (2), the following clarification shall be inserted:-

“Clarification: It is clarified that the liquidator shall continue to discharge his responsibilities under the liquidation process, till the application for extension is decided by the Adjudicating Authority.”

- (v) in the explanation to sub-regulation (2), for the term “Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019” the term “Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2026” shall be substituted.

38. In the principal regulations, in regulation 44A,

- (i) for the words “on the advice”, the words “with the approval” shall be substituted.
- (ii) the word “consultation” shall be omitted.

39. In the principal regulations, in regulation 45, for sub-regulations (2) and (3), the following regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The liquidator shall submit an application along with the final report and the compliance certificate in such format as notified by the Board to the Adjudicating Authority for the dissolution of the corporate debtor or closure of the liquidation process.”

40. In the principal regulations, in regulation 45A: -

- (i) in clause (e) of sub-regulation (2), the word “consultation” shall be omitted.
- (ii) in clause (i), the words “going concern sale in liquidation process or” shall be omitted.
- (iii) in clause (n) of sub-regulation (2), the words “preliminary report, asset memorandum,” and “asset sale report, annual status report” shall be omitted.
- (iv) sub-regulation (5) shall be omitted.

41. In the principal regulations, in regulation 46, in sub-regulation (5), (7) and (7D), for the word “Form-I”, the words “such format as notified by the Board” shall be substituted.

42. In the principal regulations, for regulation 47, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“47. Model time-line for liquidation process.**

The following Table presents a model timeline of liquidation process of a corporate debtor from the liquidation commencement date, assuming that the process does not include compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) :

**Model Timeline for Liquidation Process**

Sl. No.	Section / Regulation	Description of Task	Norm	Latest Timeline (Days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Section 33 and 34	Commencement of liquidation and appointment of liquidator	LCD	0 = T
2	Section 33 (1)	Public announcement	Within 5 days of appointment of liquidator.	T + 5

	(b) (ii) / Reg. 12			
3	Reg. 35 (2)	Appointment of registered valuers	Within 7 days of LCD	T + 7
4	Reg. 8	First meeting of committee of creditors	Within 7 days of LCD	T+ 7
5	Reg. 16 / Sec. 52 and reg. 21A	Submission of claims; Intimation of decision on relinquishment of security interest	Within 14 days of LCD	T + 14
6	Reg. 30	Verification of claims received under regulation 16	Within 7 days of receipt of claims	T + 21
7	Reg. 30	Intimation about decision of acceptance/ rejection of claim	Within 7 days of admission or rejection of claim	T + 28
8	Reg. 31 (2)	Filing the list of stakeholders	Within 30 days from the last date of receipt of claims	T + 44
9	Reg. 15	Submission of progress reports to AA	First progress report Second progress report	Q1 + 15 Q2 + 15
10	Proviso to Reg. 15	Progress report in case of cessation of liquidator	Within 15 days of cessation as liquidator	Date of cessation + 15
11	Reg. 42 (2)	Distribution of the proceeds to the stakeholders	Within 15 days from the receipt of amount	Date of Realisation + 15
12	Reg. 44	Liquidation of corporate debtor.	Within 180 days	T + 180
13	[Reg. 46	Deposit the amount of unclaimed dividends and undistributed proceeds	Before submission of application under sub-regulation (2) of regulation 45	
14	Sch-1 Sl. No 12	Time period to H1 bidder to provide balance sale consideration	Within 90 days of the date of invitation to provide the balance amount.]	

[AA: Adjudicating Authority, LCD: Liquidation Commencement Date]

43. In the principal regulations, in Schedule I, in clause 1:-

(i) sub-clause (1A) shall be omitted.

(ii) in sub-clause (1B), the word “consultation” shall be omitted.

(iii) in sub-clause (1B), for the word “advises” the word “decides” shall be substituted.

(iv) in sub-clause (4), after the words “be further reduced”, the words and marks “, with the approval of the committee,” shall be inserted.

(v) the proviso to sub-clause (4) shall be omitted.

(vi) in sub-clause (11A), after the words “Where the liquidator” the words “, with the approval of the committee with voting share of sixty-six per cent.,” shall be inserted.

(vii) in sub-clause (12B), the words “consultation” and “under regulation 31A”, shall be omitted.

(viii) in sub-clause (12C), for the words “consultation with the consultation committee”, the words “the approval of the committee with voting share of sixty-six per cent.” shall be substituted.

(ix) in sub-clause (12E), for the words “the liquidator may, in consultation with the consultation committee”, the words “the liquidator may, with the approval of the committee with voting share of sixty-six per cent.” shall be substituted.

(x) in sub-clause (13), after the words “to transfer such assets”, the words “with the approval of the committee with voting share of sixty-six per cent” shall be inserted.

44. In the principal regulations, in Schedule I, in clause 2, in sub-clause (3A), for the words “after consultation with the consultation committee under regulation 33” the words “in compliance with regulation 33” shall be substituted.

45. In the principal regulations, Schedule II shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson  
[ADVT.-III/4/Exty./140/2026-27]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005, dated 15<sup>th</sup> December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15<sup>th</sup> December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2026-27/GN/REG142, dated the 19<sup>th</sup> May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.329 on 20<sup>th</sup> May, 2026.